

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 275]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 1 सितम्बर 2020—भाद्र 10, शक 1942

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2020

क्रमांक एफ 02-05-लोसेप्र-इकसठ-1-पी.एस.जी.-12.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएँ, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सेवा

सेवा क्र.	सेवाएँ	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
12.11	PCPNDT अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत केन्द्रों के नवीन पंजीयन	जिला कलेक्टर एवं जिला समुचित प्राधिकारी PCPNDT	45 कार्य दिवस	राज्य समुचित प्राधिकारी PCPNDT	60 कार्य दिवस	सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
12.12	PCPNDT अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत केन्द्रों के पंजीयन का नवीनीकरण	जिला कलेक्टर एवं जिला समुचित प्राधिकारी PCPNDT	30 कार्य दिवस	राज्य समुचित प्राधिकारी PCPNDT	60 कार्य दिवस	सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव.